बाढ़ आ जाए और उससे उत्पादन कुछ कम हो जाता है, तो उपभोक्ताओं का दोहन न हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन न हो, इस ख्याल से या कहीं भी अनाज की कमी न हो इसलिए सरकार हमेशा चौकन्ना रहती है कि किसी भी हालत में अनाज की कमी न होने दी जाए और इसलिए चूंकि पिछले साल अनाज का उत्पादन घट गया था, महोदया, इस वजह से अनाज आयात करने की जरूरत पड़ी। अनाज की कमी के कारण जहां-तहां अनाज, आटे, चावल की कीमत ज्यादा बढ़ने लगी थी, तो उपभोक्ताओं का किसी हालत में शोषण न हो इसलिए सरकार उसमें मुस्तैदी बरतती है, इस हेतु आयात करना पड़ता है, कोई शौक से सरकार अनाज आयात करती हो या आयात करने में गौरव समझती हो, ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार इस बात में मुस्तैद है, चौकन्नी है कि हिन्दुस्तान की जनता को किसी हालत में हम अनाज की कमी नहीं होने देंगे और भूख से लोगों को परेशान नहीं होने देंगे। इस बार करीब 19 करोड़ 80 लाख टन अनाज होने का अनुमान है और अच्छी फसल की आशा है, जैसी कृषि विभाग के लोगों ने सूचना दी है। इसलिए अब आयात की जरूरत नहीं है क्योंकि अद्यतन, सम्प्रति एक करोड़ लाख टन से ज्यादा गेहूं है और चावल का भी एक अक्तूबर से फिर प्रोक्योरमेंट शुरू होने जा रहा है। तो अनाज के भंडार में कमी नहीं है, फिर भी हम मुस्तैदी बरत रहे हैं। पिछले साल चूंकि प्रोक्योरमेंट कम हुआ था, केवल 81 लाख टन हुआ था लेकिन इस बार 11 लाख टन अधिक हुआ। प्रोक्योरमेंट ज्यादा हो, किसान को भी बढ़िया कीमत मिले और उत्पादन बढ़े, इसलिए किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए भी सरकार कृत संकल्प है और अनाज की कोई कमी न हो इसके लिए भी सरकार कृत संकल्प है।

उपसभापति: प्रश्न संख्या 164।

श्री नरेन्द्र मोहन: मैडम, मैंने आपसे एक विनती की थी।

उपसभापति: आपकी रिक्वेस्ट दूसरों के लिए तकलीफ पैदा करेगी।

Sick Sugar Units in the Country

*164. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number and the names of chronically sick sugar units in the country with accumulated losses particulary in the state of Punjab;

(b) the reasons therefor;

(c) the details of the schemes formulated by Government for revival of such sugar mills;

(d) the details of assistance rendered to each of the sick units during the last three years; and

(e) the steps being taken or proposed to be taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The sugar units in the country are grouped in three sectors, namely private, public and cooperative. The sick sugar units belonging to private and public sectors are covered under the Provisions of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985. According to the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR), established under the provisions of this Act, 34 sick sugar companies have been registered with them from 1-1-1987 to 30-6-1997 under the provisions of this Act. The names and the accumulated losses of these companies as, reported by them at the time of their registeration with BIFR, are given in the statement-I *(See* below)

According to the BIFR, problems relating to production, marketing and finance, are the reasons cited by these companies for their sickness.

(c) to (e) The BIFR has sanctioned rehabilitation schemes for 9 sick sugar companies. Out of these, 6 companies

have been declared no longer sick, including one sugar mill from Punjab-Bhagwanpura Sugar Mills, Dhuri. Rehabilitation schemes for the remaining three sugar companies are under implementation. The details of the rehabilitation schemes in respect of these 3 companies are at Statement-II. *(See* below)

The status of the 34 sick companies is given in 5 Statment-III (A) and (B) . *(See* below)

Loan assistance from Sugar Development Fund, maintained by the Ministry of Food and Consumer Affairs is provided to sugar mills for modernisation of its plant and machinery and cane development. The following two sugar mills have received financial assistance from the Sugar Development Fund during the last three years for modernisation-cum-expanision of their sugar plants as per the BIFR Orders.

1.	M/s. The Ajudhia Sugar Mills, (Unit of M/s. Lakshmiji Sugar Co. Ltd.) Raja-ka-Sahaspur, Moradabad (U.P.)	678.60 (1994-95)
2.	M/s. The Sherwani Sugar Syndicate Ltd., Neoli, Distt. Etah, (U.P.)	565.00 (1995-96)

Statement I

Sick Sugar Companies Registered with BIFR

Sl. No.	States and Name of Companies	Accumulated Loss (Rs. in Lakhs)
1.	**Andhra Pradesh**	
	(a) Challapalli Sugar	942.78
	(b) Kirlampudi Sugar Mills	229.24
	(c) Sree Kailas Sugars & Chemicals Ltd.	3109.00
2.	**Bihar**	
	(a) Champaran Sugar	941.00
	(b) HMP Sugars Ltd.	729.00
	(c) Cawnpore Sugar Works	874.76
3.	**Karnataka**	
	(a) Davanagare Sugar Co.	758.27
	(b) Tungabhadra Sugar Works	N.A.
	(c) Gangavati Sugar	2206.68
	(d) Salarjung Sugar	269.58
4.	**Kerala**	
	(a) The Travancore Sugars & Chemicals Ltd. (SPSU)	88.00
5.	**Madhya Pradesh**	
	(a) Jiwaji Rao Sugar	600.00
6.	**Maharashtra**	
	(a) Godavari Sugar Mills	732.75
	(b) Brima Sugar Ltd.	419.40
	(c) Belapur Sugar & Allied	N.A.
7.	**Punjab**	
	(a) Bhagwanpura Sugar Mills	411.11
8.	**Rajasthan**	
	(a) Mewar Sugar	283.86
9.	**Tamil Nadu**	
	(a) Cauvery Sugars & Chemicals	180.52
	(b) Cauvery Sugars & Chemicals	2296.00
10.	**Uttar Pradesh**	
	(a) Nawabgunj Sugar Mills	400.00
	(b) Shree Sitaram Sugar Co.	N.A.

(c) Deoria Sugar Mills Ltd.	726.30
(d) Ratna Sugar Mills Ltd.	476.45
(e) Lakshmiji Sugar Mills Co. Ltd. (Unit — Ajudhia Sugar Mills)	455.72
(f) Cawnpore Sugar Works Ltd.	1819.67
(g) Shervani Sugar Sindicate Ltd.	478.39
(h) Swadeshi Mining & Mfg. Co. Ltd. (CPSU)	291.00
(i) Nandganj Sibori Sugar Co. Ltd. (SPSU)	5218.00
(j) Chhata Sugar Co. Ltd. (SPSU)	1589.00
(k) Ghatampur Sugar Co. Ltd. (SPSU)	1561.00
(l) Uttar Pradesh State Sugar Corpn. Ltd. (SPSU)	33160.00
(m) Naadgunj Sihori Sugar Company Ltd. (SPSU)	4533.00
(n) Saraya Sugar Mills Ltd.	415.00
11. **West Bengal**	
(a) Ramnuger Cane (Khitan Agro Complex)	118.79
Total	70314.27

Note: CPSU — CENTRAL PUBLIC SECTOR UNDERTAKING
SPSU — STATE PUBLIC SECTOR UNDERTAKING

Statement II

Details of the Rehabilitation Schemes Sanctioned for the Revival of Sick Sugar Companies which are Under Implementation.

(1) M/s. Mewar Sugar Mills Ltd., Rajasthan.

Cost of the scheme	Payment(Rs. in lakhs)	Means of Finance	(Rs. in lakhs)
towards one time settlement	482.00	Subordinated interest free funds	550.00
Modernisation of Distellery	450.00	Terms loans from Banks/ Private Finance Companies	100.00
			92.00
		Internal Generations	932.00
Total	932.00		Total

Progress of implementation:

Towards one time settlement (OTS), an amount of Rs. 289.13 lakhs has been incurred so far. The promoters have brought in their contribution as envisaged in the scheme. The over all status of implementation is satisfactory. The company has not yet given the details of its modernisation plan.

(2) M/s. Laxmiji Sugar Mills Ltd. Uttar Pradesh

Cost of the scheme	(Rs. in lakhs)	Means of Finance	(Rs. in lakhs)
1. Pressing creditors	190	1. Promoters contributions:	
2. Additions to Building	108	(i) increase in share capital/interest free unsecured loans	437
3. Plant & Machinery (including Misc. Fixed Assets)	1368	(ii) SDF loan for modernisation-cum-expansion.	679
4. Contingency (10%)	120		
5. Pre operative/other expenses	130	2. Term loan from Financial Institutions.	829
6. Margin money for Additional Working Ceptal	29		
Total	1945	Total	1945

(3) M/s. Sherwani Sugar Syndicate Ltd., U.P.

Cost of the scheme	(Rs. in lakhs)	Means of finance	(Rs. in lakhs)
1. Cost of the plant & equipment	1943	Promoters contribution	1040.40@@
2. Civil works	145	SDF loan	885.60
3. Contingencies (10%)	209	Term loan from financial institutions	763.00
4. Interest during construction period	126		
5. Margin money for working capital	147	U.P. State Govt. loan for cane dues	300.00
6. Cane dues	315		
7. PF arrears	39		
8. Salary arrears	45		
9. Other sundery creditors	20		
Total	2989	Total	2989.00

Progress of implementation

The progress of implementation of the schemes at Sl. No. 2&3 above has not been satisfactory due to various reasons. The Operating Agencies have been directed to submit proposals to modify the sanctioned schemes

Statement III (A)

Status of Sick Sugar Mills Registered with BIFR as on 30.6.1997

1. Rehabilitation scheme sanctioned/approved	9*
2. Dismissal as nonmaintanable u/s 17 (i) of SICA	11
3. Winding up recommended to the concerned High Court u/s 20 (i) of SICA.	5
4. Pending under various stages of inquiry	9
	34

*Six companies have been declared no longer sick, hence discharged.

Statement-III (B)

Case No.	Company	State	Networth (Rs. in Lakhs)	Acc. Loss	Date of Order
	REVIVAL SCHEME SANCTIONED SECTION 18(1)				
1. 122/87	Mewar Sugar	Rajasthan	188.28	283.86	01/05/95
2. 98/89	Lakshmi Sugar Mills	Uttar Pradesh	68.22	455.72	18/02/94
3. 17/93	Shervani Sugar Syndicate Ltd.	Uttar Pradesh	41.40	478.39	18/10/95
	DISMISSED AS NON MAINTAINABLE				
1. 26/87	Cauvery Sugar & Chemicals	Tamilnadu	82.27	180.52	11/12/87
2. 83/87	Cawnpore Sugar Works	Bihar	280.75	874.76	28/09/87
3. 102/87	Nawabgunj Sugar Mills	Uttar Pradesh	17.00	400.00	16/06/89
4. 270/87	Tungabhadra Sugar Works	Karnataka	.00	.00	13/07/88
5. 38/89	Shree Sitaram Sugar Co.	Uttar Pradesh	.00	.00	12/06/89
6. 79/88	Deoria Sugar Mills Ltd.	Uttar Pradesh	.00	726.30	12/06/89
7. 187/88	Brima Sugar Ltd.	Maharashtra	141.70	419.40	20/03/90
8. 188/88	Belapur Sugar & Allied	Maharashtra	.00	.00	31/03/89
9. 194/88	Ratna Sugar Mills Ltd.	Uttar Pradesh	15.78	476.45	28/09/89
10. 602/95	Nandgani Sibori Sugar Co. Ltd.	Uttar Pradesh	2469.00	5218.00	05/06/95
11. 603/95	Chhata Sugar Co. Ltd.	Uttar Pradesh	531.00	1589.00	02/06/95
	DRAFT SCHEMES CIRCULATED				
1. 601/96	Nandgunj Sibori Sugar Company Ltd.	Uttar Pradesh	2311.00	4533.00	30/06/97
	WINDING UP RECOMMENDED UNDER SECTION 20(1)				
1. 81/87	Champaran Sugar	Bihar	110.44	941.00	28/06/93
2. 100/88	Jiwaji Rao Sugar	Madhya Pradesh	54.16	600.00	18/01/91
3. 127/88	Salarjung Sugar	Karnataka	55.62	269.58	17/10/96
4. 221/88	Gangavati Sugar	Karnataka	198.57	2206.68	29/09/95
5. 901/95	Swadeshi Mining & Mfg. Co. Ltd.	Uttar Pradesh	198.00	291.00	01/07/96
	WINDING UP NOTICE ISSUED				
1. 99/92	Cawnpore Sugar Works Ltd.	Uttar Pradesh	148.22	1819.67	24/04/97
2. 607/95	Ghatampur Sugar Co. Ltd.	Uttar Pradesh	963.00	1461.00	01/11/96

Case No.	Company	State	Networth (Rs. in Lakhs)	Acc. Loss	Date of Order
	UNDER INQUIRY				
1. 608/95	The Travancore Sugar & Chemicals Ltd.	Kerala	55.00	88.00	30/06/95
2. 609/95	Uttar Pradesh State Sugar Corpn. Ltd.	Uttar Pradesh	36973.00	37160.00	30/06/95
3. 63/96	HMP Sugars Ltd.	Bihar	590.00	729.00	30/06/95
4. 82/96	Cauvery Sugar and Chemicals Ltd.	Tamilnadu	967.00	2296.00	30/06/95
5. 26/97	Saraya Sugar Mills Ltd.	Uttar Pradesh	61.00	415.00	30/06/95
6. 66/97	Sree Kailas Sugars & Chemicals Ltd.	Andhra Pradesh	1448.00	3109.00	30/06/95
	DECLARED NO LONGER SICK				
1. 3/87	Challapalli Sugar	Andhra Pradesh	874.30	942.78	17/01/96
	List of Sugar Mill Cases BIER			Page No.: 2	
2. 101/87	Davnagare Sugar Co.	Karnataka	547.38	758.27	14/02/96
3. 181/87	Godavari Sugar Mills	Maharashtra	224.51	732.75	29/11/94
4. 233/87	Kirlampudi Sugar Mills	Andhra Pradesh	186.75	229.24	02/03/88
5. 90/88	Bhagwanpura Sugar Mills	Punjab	302.91	411.11	27/03/97
6. 185/88	Ramnuger Cane (Khitan Agro Complex)	West Bengal	60.31	118.79	13/09/96
		TOTAL	50164.57	70314.27	

श्री इकबाल सिंह: मैडम, मंत्री जी आज बहुत फार्म में जवाब दे रहे हैं। सिक शूगर मिल्स के बारे में आपने उत्तर दिया, उनकी गिनती भी दे दी और स्टेट वाइज़ भी बता दिया, लेकिन आपसे मैं मंत्री जी पूछना चाहता हूं कि जो सिक मिल्स हैं, उनके लिए क्या फेसेलिटीज़ दे रहे हैं फाइनेंस की? जो शूगर की कास्ट आफ प्रोडक्शन है, वह बहुत बढ़ रही है, तो इसको कम करने के लिए मॉडर्नाइजेशन, न्यू टैक्नोलॉजी और उसकी एक्सपेंशन के लिए, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ओल्ड मशीनरी को बदलकर नई मशीनरी को लाया जाए, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं ताकि शूगर की क्वालिटी भी अच्छी हो और प्रोडक्शन भी ज्यादा हो?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदया, माननीय सदस्य ने जो सिक मिल्स हैं और सिक मिल्स को कैसे मदद देकर उनमें सुधार किया जाए, चालू किया जाए, इससे संबंधित प्रश्न की जिज्ञासा उन्होंने की है। इस संबंध में सदन को जानकारी देने में मुझे खुशी होगी कि हिन्दुस्तान में करीब 459 चीनी मिलें हैं। तीन तरह की मिलें हैं—प्राइवेट, कोआपरेटिव और सरकारी चीनी मिलें। किसानों का मिलों पर बकाया होने और पुरानी मशीनों के होने के कारण चीनी की रिकवरी में कमी हो जाती है, इन कारणों से चीनी मिलें बंद हो जाती हैं और करीब 47 चीनी मिलें अभी बंद हैं।

इसमें कहा गया है करीब 34 चीनी मिलें सिक यूनिट्स बन गई हैं। इसलिए सरकार की नीति है कि कोई भी चीनी मिल अपने एक्सपैंशन के लिए प्रस्ताव दे, अपने माडर्नाइजेशन के लिए प्रस्ताव दे, रिकवरी बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दे, गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दे, इन सभी चीजों पर शूगर डेवलपमेंट फंड से उनको ऋण देने का प्रावधान है। कोऑपरेटिव चीनी मिलों के अलावा जो प्राइवेट चीनी मिलें हैं या सरकारी चीनी मिलें हैं उनके लिए यह प्रावधान है कि सिक यूनिट्स को बी०आई०एफ०आर० को रेफर किया जाता है और बी०आई०एफ०आर० की अनुशंसा के मुताबिक केन्द्र सरकार की ओर से शूगर डेवलपमेंट फंड से उनको ऋण दिया जाता है। जो 17 चीनी मिलें अभी बीमार हैं, उनमें से 9 चीनी मिलों को ऋण दिया गया है बी०आई०एल० फ०आर० की अनुशंसा के मुताबिक उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए। इनमें से 6 चीनी मिलें रिहैबिलिटेट हो गई हैं और 3 चीनी मिलों के रिहैबिलिटेशन की

कार्यवाही चल रही है। निकट भविष्य में वे भी फिर से चालू हो जाएंगी।

महोदया, अभी जो महाजन कमेटी बिठाई गई है कुछ महीने पहले, सितंबर माह के अंत तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। उसमें चीनी से संबंधित सभी बातों पर विचार किया जाएगा जैसे बंद चीनी मिलों को चालू करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा सकती है, उनके माडर्नाइजेशन के लिए क्या कार्यवाही की जा सकती है, उनके विस्तार के लिए क्या कार्यवाही की जा सकती है, चीनी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, रिकवरी बढ़ाने के लिए, गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा सकती है। वह उच्च स्तरीय कमेटी इन तमाम बातों पर विचार करेगी और सितंबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट दे देगी। वह रिपोर्ट जब आ जाएगी तो उसकी अनुशंसाओं पर सरकार विचार करेगी और कार्यवाही करेगी ताकि हिंदुस्तान में चीनी की उत्पादकता में कमी न हो, चीनी की रिकवरी में कमी न हो, बंद चीनी मिलें चालू हो जाएं, किसानों के बकाए का भुगतान हो जाए, चीनी मिलों में कार्यरत मजदूरों के बकाए का भुगतान हो जाए। उस समिति की अनुशंसाओं के मुताबिक सरकार इस विषय में उचित कार्यवाही करेगी।

श्री इकबाल सिंह: महोदया, माननीय मंत्री जी ने अभी माडर्नाइजेशन और टेक्नोलोजी की बात कही है। महोदया, देखने में यह आया है कि चीनी मिलों के बाहर बहुत लंबी-लंबी लाइनें लगी हैं और किसान अपना गन्ना बेचने के लिए 4-5 दिन बाहर खड़ा रहता है और उसको पेमेंट भी नहीं मिलती है। महोदया, पंजाब में डिस्ट्रिक्ट कपूरथला में एक मिल है जिसने किसानों का 37 करोड़ रुपया देना है। किसान को पैसा नहीं मिलता है। किसान गन्ने को जला भी देता है जो कि एक तरह से राष्ट्र का नुकसान है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि किसान की मदद कैसे की जा सकती है? किसान देश के लिए गन्ना बोता है। उसकी मदद करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? उसको आप क्या फैसिलिटी दे रहे हैं और उन मिलों को जिन्होंने बकाया देना है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं? पंजाब में जो सरकार चल रही है, वह अपने आपको किसानों की सरकार कहती है लेकिन अभी तक पंजाब में किसानों को गन्ने की पेमेंट नहीं दी गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर गन्ने की पेमेंट कब होगी?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदया, मैंने इस संबंध में पहले ही विस्तार से बता दिया है। माननीय सदस्य पंजाब के संबंध में कह रहे हैं। वहां 22 चीनी मिलें थीं जिनमें से एक चीनी मिल लिक्विडेट कर गई है और अब उसके चालू होने की कोई संभावना नहीं है। एक को चालू किया जा रहा है। बाकी 20 चीनी मिलें जिनमें 6 कोऑपरेटिब्ज के अधीन हैं और बाकी 14 प्राइवेट हैं, उनके द्वारा किसानों के पैसे का भुगतान हो जाए, इस पर सरकार नजर रख रही है। मिलों में जो कमियां हैं, जो उनकी रिकवरी कम रहती है या किसानों के गन्ने की खपत नहीं हो पाती, इसके लिए हरेक राज्य में केन ऐक्ट बना हुआ है, अगर किसानों के गन्ने की खपत न हो सके तो इस केन ऐक्ट में क्षतिपूर्ति करने का प्रावधान है। हमारी तो यही कोशिश रहती है किसानों के गन्ने की खपत हो जाए और जो गन्ना मिल में आए, उसका जो ईख मूल्य है, वह किसान को समय पर मिल जाए। नहीं मिल सका तो इसके लिए प्रावधान है कि यदि 14 दिन से ज्यादा देर हो जाती है तो उनको 14 प्रतिशत सूद मिले। इसलिए किसानों के हितों के संरक्षण के लिए ध्यान रखा जा रहा है।

श्री इकबाल सिंह: जिस मिल ने 37 करोड़ रुपये देने हैं, वह मिल तो बंद ही हो गयी है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Better Facilities for Physically Handicapped People

*165. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the steps proposed to ensure better facilities for physically handicapped people;

(b) whether all Govenrment buildings must have ramps etc. for easy access for wheel chair users; and

(c) whether any law has been passed in this regard?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI B.S. RAMOOWALIA): (a) Statement is laid on the Table of the House and *(See below)*